

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था /2017


रायपुर, दिनांक

/2017

// आदेश //

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के आदेश क्रमांक 7246/वि.स./स्था/2001 दिनांक 1.8.2001 एवं एतद् विषयक वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित समय-समय पर जारी अन्य आदेशों को अधिक्रमित करते हुए छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981, के अन्तर्गत बने नियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम, 1990 के नियम 7 (2) एवं छत्तीसगढ़ बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर, 1983 जिल्द-1 के अनुभाग-1 के बिन्दु क्रमांक 1 एवं 3 और 32 एवं 33 के अन्तर्गत अध्यक्ष, विधान सभा एवं राज्य शासन के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधान सभा एवं विधान सभा सचिवालय के वित्तीय मामलों का सुचारु निर्वहन करने की व्यवस्था के क्रम में वित्तीय अनुमोदन हेतु समस्त शक्तियां तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय को प्रत्यायोजित की जाती है ।

आदेश से,


अपर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा


रायपुर, दिनांक ७/९/2017

३५६०

पृ. क्रमांक /वि.स./स्था /2017

प्रतिलिपि:-

1. माननीय अध्यक्ष के सचिव को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव के निज सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
3. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं शाखा प्रभारियों/अनुभाग अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा